

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 अगस्त 2025—श्रावण 24, शक 1947

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जून 2025

क्रमांक ESTB/671/2025-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्र. 33/07/2025-EO(SM-I), दिनांक 28-05-2025 के तारतम्य में सुश्री अलरमेलमंगई डी., भा.प्र.से. (2004), सचिव, श्रम विभाग एवं अति. प्रभार श्रमायुक्त, सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की सेवायें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश पर्यन्त भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संयुक्त सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के पद पर नियुक्ति हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur, Atal Nagar

Nava Raipur, Atal Nagar the 23rd June 2025

No. F. 2697/1951/XXI-B/C.G./2025.—The State Government on recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh vide its Memo No. 632/II-2-17/2001 (Pt. IV), I-8-6/2001 (Pt.V) Confdl./2025, Bilaspur Dated 20-06-2025 hereby, appoints the following Judicial Officers specified in column (2) of the Schedule below as Secretary, District Legal Services Authority on deputation, as mentioned in column (3) of Schedule, from the date they assume charge of their office, namely :—

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer with present place of posting (2)	Name of DLSA (3)
01.	Shri Nilesh Jagdalla, V Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Raigarh	Secretary, District Legal Services Authority, Rajnandgaon
02.	Shri Aman Tigga, I Civil Judge Junior Division, Baikunthpur	Secretary, District Legal Services Authority, Kawardha

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Principal Secretary.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जुलाई 2025

क्रमांक 1723/एफ 1-8/2019/13/1.—राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्निर्णय की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री भीम सिंह कंवर, आत्मज श्री मंगतु राम, कार्यपालक निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को विभागीय आदेश क्रमांक 1541/एफ 1-8/2019/13/1 दिनांक 11-07-2024 द्वारा उक्त कंपनी में संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पदस्थ किया गया है, जिसकी अवधि 10-07-2025 को समाप्त हो रही है, मैं उक्त तिथि के पश्चात् 01 वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, की वृद्धि की जाती है।

2. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष कुमार जायसवाल, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 जुलाई 2025

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202304042100066/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	टिनमिनी प.ह.नं. 34	1.432	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	केलो परियोजनांतर्गत छिछौर उमरिया टेल माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2025

क्रमांक/3807/वा./भू.अ./अ.वि.अ./2025.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रायपुरखास प.ह.नं. 62	16.73	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1, रायपुर (छ.ग.)	आमापारा गुढ़ियारी मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

बिलासपुर, दिनांक 6 अगस्त 2025

314

0.089

क्रमांक 01/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

योग

0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—माननीय उच्च न्यायालय आवासीय परिसर निर्माण हेतु.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-बोदरी

(ग) नगर/ग्राम-बोदरी, प.ह.नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
“सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन” सेक्टर-24, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14 जुलाई 2025

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2025-26/3169.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2024-25/3292-3293 रायपुर, दिनांक 30-08-2024 द्वारा श्री विकास साहू, सहायक संचालक कृषि दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/मंडी/स्था./भा.सा.अ.नि./2025-26/500 दुर्ग दिनांक 09-07-2025 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) के भारसाधक अधिकारी, श्री विकास साहू, सहायक संचालक कृषि दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) का उप संचालक कृषि के पद पर पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना जैव उर्वरक एवं जैविक खाद परीक्षण एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में स्थानांतरण हो जाने से कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया गया है.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री विकास साहू, सहायक संचालक कृषि दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) के स्थान पर श्री संदीप कुमार भोई, उप संचालक कृषि, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का आगामी आदेश तक भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

महेन्द्र सिंह सवन्नी,
संचालक.

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग नारायणपुर जिला-नारायणपुर (छत्तीसगढ़)

नारायणपुर, दिनांक 11 जुलाई 2025

क्रमांक/1069/कार्य/2025-26.—देवगांव जलाशय योजना अन्तर्गत डुबान में अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण सूची :—

देवगांव जलाशय के अंतर्गत डुबान में अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का निवरण एवं सूची

क्र.	कास्तकार का नाम/पिता/पति का नाम	जाति	ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित की जाने		भूमि की किस्म	अन्य विवरण
						एकड़	हेक्टेयर		
1	मु. मनकी बेवा दुकारु, जगनाथ पिता दुकारु	लोहार	देवगांव	587	2.020	5.050	2.020		
2	मु.सोमदाई बेवा सुकू, मेहत्तर पिता सुकूराम	तेली	—"—	588	2.020	5.050	2.020		
3	घसिया पिता धनीराम, रस्सूराम करंगा पिता धनीराम, गजुराम पिता धनीराम, रजनुराम करंगा पिता धनीराम	गोंड	—"—	612	1.420	3.550	1.420		
4	चमरा पिता धनू	—"—	—"—	613/1	0.620	1.270	0.509		
5	दुवारु पिता हगरु	गांडा	—"—	616	0.720	1.800	0.720		
				617	1.300	3.250	1.300		
			योग	2	2.020	5.050	2.020		
6	भकचन्द पिता झगडू, मु. मेदो बेवा झगडू	तेली	—"—	627/1	1.010	2.520	1.010		
7	सुकचंद पिता झगडू	—"—	—"—	627/2	1.010	2.520	1.010		
8	फुलेश्वर साहू पिता जयलाल साहू	—"—	—"—	628	2.020	5.050	2.020		
9	रोहिदास पिता हगरु	गांडा	—"—	632	2.020	5.050	2.020		
10	रैनुराम, मैनी, रैनी, मंगनी पिता गोपी, सनउ पिता गोपी, सुक्को पिता सैनु	गोंड	—"—	596	7.070	7.270	2.910		
			योग	11	21.230	42.380	16.959		

ब्रेहबेड़ा जलाशय के अंतर्गत डुबान में अर्जित की जाने वाली निजि भूमि का निवरण एवं सूची

क्र.	कास्तकार का नाम/पिता/पति का नाम	जाति	ग्राम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित की जाने		भूमि की किस्म	अन्य विवरण
						एकड़	हेक्टेयर		
1	पिसाडु पिता देउ	गोड़	ब्रेहबेड़ा	7	2.560	5.635	2.254		
2	सुकदाय पति मंगल	गोड़	—	6	1.150	2.215	0.886		
				8	1.160	2.900	1.160		
3	पीलीबाई पति जागेश्वर, लोकपाल, छात्रपाल, निशा ठाकुर पिता जागेश्वर	क्षत्रिय	—	10/1	1.820	4.425	1.770		
4	विपुल, समीर कुमार पिता तीनकारी	सोनार	—	55	2.020	4.607	1.843		
5	महेश्वर पिता हिरासिंह	क्षत्रिय	—	56	0.450	0.273	0.109		
6	मेहतर पिता मंगल	गोड़	—	11	3.080	1.130	0.452		
7	भुपेन्द्र पिता सुधीर, विपुल कुमार पिता भुपेन्द्र	नमोशुद्र	—	13	2.020	0.970	0.388		
8	जगनु पिता सत्तेरसिंह	गोड़		5/1	1.710	0.167	0.067		
			योग	9	15.970	22.322	8.929		

देवगांव जलाशय के अंतर्गत डुबान में अर्जित की जाने वाली निजि भूमि का निवरण एवं सूची

क.	कास्तकार का नाम/पिता/पति का नाम	जाति	ग्राम	खसरा नंबर	कुल एकबा	अर्जित की जाने		भूमि की किस्म	अन्य विवरण
						एकड़	हेक्टेयर		
1	सोनी बेवा दशरू पुनू पिता दशरू मलसाय, दलसाय, फूलबती पिता दशरू	गोंड	टीमनार	7	1.490	1.1250	0.450		
2	झूनकी बेवा रैजू मन्देर पिता रैजू सरादू पिता सोनऊ, डौंगे पिता सुखराम	गोंड	—	8/2	0.800	0.5575	0.223		
				239/1	0.890	2.2250	0.890		
				244	0.150	0.3750	0.150		
				226	0.570	0.5250	0.210		
				222/3	0.170	0.1250	0.050		
				211	0.090	0.2250	0.090		
				210	0.360	0.9000	0.360		
				208/1	1.300	0.8250	0.330		
				221	0.140	0.2750	0.110		
				224	0.450	0.0500	0.020		
3	शंकर पिता गारू	गोंड	—	10	4.920	6.0825	2.433		
				11	0.590	1.2500	0.500		
				16	0.440	1.1000	0.440		
				26	1.240	0.2000	0.080		
4	बलीराम पिता भोटका, बिले बेवा दुकारू, कोताय पति दुकारू	गोंड	—	3	2.270	2.5500	1.020		
				13	0.880	2.2000	0.880		
				238	0.500	0.2250	0.090		
				2	1.380	2.4250	0.970		

5	बली राम पिता भोटका	गोंड	—"	404	1.980	2.0750	0.830	
6	रामजी पिता गागरू, गोरसे बेवा गागरू	गोंड	—"	14	1.750	4.3750	1.750	
7	सुदनी बे एतगरू पिता गिंजरू, ना.बा.पनकू पिता गिंजरू पिता पा मां मुदरी	गोंड	—"	15	1.900	4.7500	1.900	
8	सैसिंग पिता सीताराम, सिदों बेवा सीताराम कोटे पिता कटिया, रनाय बेवा कटिया	गोंड	—"	17/1	0.750	1.8750	0.750	
9	सोनू पिता बैहा	गोंड	—"	18	0.250	0.5000	0.200	
			—"	248	0.820	1.7500	0.700	
		योग		2	1.070	2.2500	0.900	
10	पण्डी पिता मंगलू	गोंड	—"	8/1	1.360	0.3000	0.120	
				19	0.040	0.1000	0.040	
				20	0.030	0.0750	0.030	
				209	0.310	0.7750	0.310	
		योग		4	1.740	1.2500	0.500	
11	मस्सु, सुखराम, सुकालू, मोतीराम पिता मन्नू मनीराम पिता कोदा	गोंड	—"	21	0.270	0.4500	0.180	
				259	0.250	0.1250	0.050	
		योग		2	0.520	0.5750	0.230	
12	सुकू, लक्ष्मण, लच्छिम, बजारू पिता चैतू, फगनी पति बोटी	गोंड	—"	22	0.310	0.0500	0.020	
13	जुगेती पति लालू, रूपसाय पिता लालू, रूपसिंह पिता लालू, अभिषेक पिता लालू, बजनी पिता लालू, घसिया पिता लालू कोला	गोंड	—"	24	0.460	0.1500	0.060	
				212	1.070	2.6750	1.070	
		योग		2	1.530	2.8250	1.130	

14	नाडी, नाडू, पिता गागरू, शिताय पति नानजात, रामसु, रासो, रशबती, घसियो, घसनी पिता नानजात	गोड़	--	131/2	2.300	1.6750	0.670		
15	जानोबाई पति श्रीनाथ, सोमनाथ पिता रजाउ, दिनेश, विनोद पिता जगनाथ, बुधराम, कवलसिंह पिता श्रीनाथ, सुदरबती पिता रजाऊ	राकत	--	241	1.000	2.5000	1.000		
16	लखमी व. शंकर, शंकर पिता बकको	रावत	--	261	1.430	2.8000	1.120		
			--	264	0.570	1.4250	0.570		
		योग		2	2.000	4.2250	1.690		
17	बासनबाई व जहरू, काहरू पिता सोमारू	गांजा	--	265	0.630	1.5750	0.630		
			--	266	1.400	3.5000	1.400		
		योग		2	2.030	5.0750	2.030		
18	मनीराम पिता कोटा	गोड़	--	262	0.250	0.6250	0.250		
19	लददी पिता सुकालू, मरसी पिता सुकधर, पण्डी, रामबती, रामदई पिता लददी	गोड़	--	17/2	0.550	1.3750	0.550		
			--	17/3	0.620	1.2500	0.500		
		योग		2	1.170	2.6250	1.050		
20	जगदेर पिता सुदू, सुन्दरलाल पिता सुदू	गोड़	--	17/4	0.450	0.1750	0.070		
			--	216/1	0.400	0.1000	0.400		
			--	216/3	0.100	0.2500	0.100		
21	फोहड़ पिता लखमू, कुमारीबाई पति फोहड़	गांजा	योग	2	0.500	0.3500	0.500		
22	सुकदास पिता कमलू	गांजा	--	217	0.190	0.4750	0.190		
23	सोदेर पिता सुकालू, ना.बा. बुदराम सुदरेन पिता सुकालू, लहरी वल्द सौदेर	गोड़	--	220	0.570	1.4250	0.570		
			--	223	0.330	0.4750	0.190		
			--	240	0.630	1.5750	0.630		
24	माहरी पति राजू, गागरी पति मानू	गोड़	योग	2	0.960	2.0500	0.820		
			--	246	1.020	1.0500	0.420		
			--	247/1	0.900	2.1250	0.850		
25	दशरू पिता सोनु, बिसरू पिता सोनु, जयराम पिता पाण्डरा	गोड़	योग	2	1.920	3.1750	1.270		

26	जुझारू पिता कोरगो, जयराम पिता पाण्डरा	गोंड	—"	247/2	0.700	1.7500	0.700		
27	लखू पिता शीतल, अंकालू पिता मानसिंह, लालसू लालू पिता अनतू कनकदाई पति अन्तू, सुको पति लखू सोमारी पति भक्तू, सुन्दरी पति अंकालू, लखन पति लालसू	रावत	—"	233	1.480	0.1750	0.070		
28	शंकरनाथ पिता पारसनाथ	कंवर	—"	280/3	0.760	0.2250	0.090		
29	दशाय वल्द बहादूर, बहादूर पिता मासू	गोंड	—"	300	0.530	0.2750	0.110		
30	सोमारू पिता लखमू सोनी पति सोमारू, घसिया, बजारू पिता सोमारू	गांडा	—"	216/2	0.460	1.1500	0.460		
31	माहरी पति राज, गागरी पति मानू	गोंड	—"	239/2	0.680	1.7000	0.680		
32	मंगनी पति मानसाय	गोंड	—"	222/2	0.820	0.4000	0.160		
33	सियाबती पति रामनाथ, देवलाल, सुखनाथ, दयाबती, ललिता पिता रामनाथ	राऊत	—"	256	0.140	0.0050	0.002		
34	जानोबाई पति श्रीनाथ, सोमनाथ पिता रजाउ, दिनेश, विनोद पिता जगनाथ, बुधराम, कंवलसिंह पिता श्रीनाथ, सुदरबती पिता रजाउ	राऊत	—"	255	0.280	0.0150	0.006		
35	घसिया पिता बांडा, घसनीन पिता बांडा सोमारी बेवा बांडा	गोंड	—"	249	0.680	0.0025	0.001		
36	रामदास पिता पंडी	गोंड	—"	8/3	1.620	3.9250	1.570		
	योग			60	43.100	66.2050	26.842		

प्रतिष्ठा ममगाई,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 4 जुलाई 2025

क्रमांक/221/भू-अभि./2025.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 67 “प्रतिस्थापित भू-सर्वेक्षण” की अधिसूचना की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित नगर पालिक निगम धमतरी क्षेत्र में नक्शा प्रोजेक्ट के तहत शहरी क्षेत्र का अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूँ, यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर जब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा, जब तक ऐसी संक्रियाओं के बंद किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

अनुसूची

क्र.	जिले का नाम	तहसील	न.पा.नि. क्षेत्र	प.ह.नं.	न.पा.नि. धमतरी में सम्मिलित ग्रामों के नाम	राजस्व सर्वेक्षण हेतु अंतः तथा बाह्य क्षेत्र का कुल रकबा (वर्ग किमी में)	नगर पालिक निगम धमतरी क्षेत्र की चतुर सीमा	बाह्य सीमा का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	धमतरी	धमतरी	धमतरी	33 31 32 34 35	धमतरी हटकेश्वर बठेना सोरिदभाठ गोकुलपुर (उक्त सभी ग्रामों का आंशिक भाग) कुल वार्डों की संख्या 40	(23.4+20.9) = 44.3 वर्ग किमी	उत्तर दिशा — ग्राम खपरी, ग्राम अर्जुनी, ग्राम संबलपुर दक्षिण दिशा — ग्राम रूद्री, ग्राम भटगांव, ग्राम श्यामताराई पूर्व दिशा — ग्राम हरफतराई, ग्राम कोलियारी, ग्राम करेठा पश्चिम दिशा — ग्राम मुजगहन, ग्राम रत्नाबांधा	नगर पालिक निगम धमतरी के चतुर सीमा का बाह्य क्षेत्र स्थित

No./221/Land-Survey./2025.—Under the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 regarding “Re-survey Notification”, I hereby declare the commencement of survey-related work for preparation of property records under the NAKSHA Project in the urban area falling under the limits of Municipal Corporation Dhamtari, as specified in the Schedule below. This area shall be considered under

such survey from the date of issue of this notification until a notification announcing the completion of such operations is issued :—

SCHEDULE

S No.	District Name	Tehsil	Municipal Corporation Area	P.H. No.	Names of villages included in Dhamtari Municipal Corporation	Total area (internal and external) for revenue survey (in sq. km)	Details of External Boundaries of municipal corporation Dhamtari	Details of Quadrilateral boundary
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dhamtari	Dhamtari	Dhamtari	33, 31, 32, 34, 35	Dhamtari, Hatkeshar, Bathena, Soridbhat, Gokulpur (all partially) – Total number of wards: 40	(23.4 + 20.9) = 44.3 sq. km	North – Village Khapri, Village Arjuni, Village Sambalpur South – Village Rudri, Village Bhatgaon, Village Shyamtarai East – Village Harfatarai, Village Koliyari, Village Karetha West – Village Mujgahan, Village Ratnabandha	Dhamtari Municipal Corporation Area Quadrilateral Boundary

अबिनाश मिश्रा,
जिला सर्वेक्षण अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th June 2025

No. 624/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and is posted as Principal District Judge from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No.	Name & presently posted as	From	To	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Shailesh Kumar Tiwari, District & Additional Sessions Judge	Dhamtari	Baikunthpur	Koria (Baikunthpur)	Principal District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 20th June 2025

No. 628/Confdl./2025/II-2-1/2025.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, who are posted in the capacity as mentioned in Column No. (3) are, henceforth, posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assumes charge of their office(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted in the capacity (3)	Henceforth posted in the capacity (4)
1.	Shri Mukesh Kumar Tiwari	III District & Additional Sessions Judge, Ambikapur	II District & Additional Sessions Judge, Ambikapur
2.	Shri Mohan Singh Korram	I Additional Judge to the Court of District & Additional Sessions Judge, Dhamtari	District & Additional Sessions Judge, Dhamtari
3.	Shri Gitesh Kumar Kaushik	II Additional Judge to the Court of District & Additional Sessions Judge, Kawardha	District & Additional Sessions Judge, Kawardha

By order of Hon'ble the High Court,
MANEESH KUMAR THAKUR, Registrar General.